HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13775/2020

Ramniwas S/o Sh. Ladu Ram, Aged About 35 Years, R/o Khariya, Kuchaman City Police Station, Nagaur, Dist. Nagaur. (Lodged In Sub Jail, Parbatsar).

----Petitioner

Versus

State, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14253/2020

Mukesh S/o Sh. Bhanwar Lal, Aged About 25 Years, R/o Village Hiran, Kuchaman City Police Station, District Nagaur. (Lodged In Sub Jail, Parbatsar).

----Petitioner

Versus

State, Through Pp

----Respondent

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	श्री कौशल गौतम जरिये वी.सी.।
For Respondent(s)	:	श्री सुधीर टाक, लोक अभियोजक।

HON'BLE MR. JUSTICE DEVENDRA KACHHAWAHA

Order

15/12/2020

प्रार्थीगण की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, कुचामन जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 272/2020 अपराध अंतर्गत धारा 323, 342, 384 भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण झूठे आरोप लगाते हुये गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम

श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि गत आदेशानुसारं अनुसंधान पत्रावली मंगवायी गयी थी परन्तु प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हैं और प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के समस्त तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी पर लगाये गये आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी 1. रामनिवास पुत्र लादूराम, 2. मुकेश पुत्र भंवरलाल, विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(DEVENDRA KACHHAWAHA),J

17-AK/-